न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

(1) पंचायत निगरानी संख्याः 08/2022

प्रार्थी

श्रीमती गेरीदेवी पत्नी मगनलालजी, जाति– सुथार, निवासी– सनवाडा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, जरिये अधिकार पत्र धारक श्री मगनलाल पुत्र रघुराम जी, जाति– सुथार, निवासी– सनवाडा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजेन्द्रकुमार पुत्र स्वर्गीय मंछाराम जी, जाति–रावल, निवासी– सनवाडा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
2. प्रकाशकुमार पुत्र स्वर्गीय मंछाराम जी, जाति–रावल, निवासी– सनवाडा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
3. जगदीश पुत्र स्वर्गीय मंछाराम जी, जाति–रावल, निवासी– सनवाडा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
4. श्रीमती कान्तादेवी पत्नी मंछाराम जी, जाति–रावल, निवासी– सनवाडा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
5. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत, सनवाडा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
6. अमीयादेवी पत्नी कान्तीलाल जी, जाति–पुरोहित, निवासी–सनवाडा, तह0 रेवदर
7. श्री कान्तीलाल पुत्र जैसाराम जी, जाति– पुरोहित, निवासी– सनवाडा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा, प्रार्थी (निगरानीकार) की ओर से
2. अधिवक्ता श्री पी.एल. दवे, अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से
3. अधिवक्ता श्री अर्जुन रावल, अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से

(2) पंचायत निगरानी संख्याः 97/2022

प्रार्थी

1. राजेन्द्रकुमार पुत्र स्वर्गीय मंछाराम जी, जाति–रावल, निवासी– सनवाडा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
2. प्रकाशकुमार पुत्र स्वर्गीय मंछाराम जी, जाति–रावल, निवासी– सनवाडा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
3. जगदीश पुत्र स्वर्गीय मंछाराम जी, जाति–रावल, निवासी– सनवाडा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
4. श्रीमती कान्तादेवी पत्नी मंछाराम जी, जाति–रावल, निवासी– सनवाडा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्रीमती गेरीदेवी पत्नी मगनलालजी, जाति– सुथार, निवासी– सनवाडा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
2. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत, सनवाडा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री पी.एल. देव, प्रार्थीगण (निगरानीकार) की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) गेरीदेवी की ओर से

.........पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

–: निर्णय :– दिनांक 18 नवम्बर, 2025

(1) संक्षिप्त में उक्त दोनों प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है। पंचायत निगरानी संख्याः 08/2022 में प्रार्थी (निगरानीकार) गेरीदेवी पत्नी मगनलालाजी, जाति– सुथार, निवासी– सनवाडा की ओर से निगरानी आवेदन, ग्राम पंचायत, उडवारिया द्वारा श्री मंछाराम पुत्र मालाजी रावल, निवासी– सनवाडा के पक्ष में क्षेत्रफल 1680 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 806 दिनांक 20–12–1987 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण राजेन्द्रकुमार पुत्र मंछाराम जी, जाति– रावल, निवासी– सनवाडा व अन्य के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह, पंचायत निगरानी संख्याः 97/2022 में प्रार्थीगण (निगरानीकार) राजेन्द्रकुमार पुत्र मंछाराम जी, जाति– रावल, निवासी– सनवाडा व अन्य की ओर से अप्रार्थीगण गेरीदेवी पत्नी मगनलाल जी सुथार, निवासी– सनवाडा व अन्य के विरुद्ध निगरानी आवेदन, ग्राम पंचायत, उडवारिया द्वारा गेरीदेवी पत्नी मगनलाल जी सुथार, निवासी– सनवाडा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 945 दिनांक 12–6–1996 को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण गेरीदेवी पत्नी मगनलालजी सुथार, निवासी– सनवाडा व अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) उक्त दोनों निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किये जाकर उक्त दोनों प्रकरणों में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर उक्त प्रकरणों में से पंचायत निगरानी संख्या 08/2022 में सुनवाई के दौरान, अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एल. दवे एवं अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन रावल उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व अप्रार्थी संख्या 6 से 7 की ओर से अलग अलग जबाव प्रस्तुत किये। इसी तरह, पंचायत निगरानी संख्या 97/2022 की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) गेरीदेवी की ओर से (जरिये अधिकार पत्र धारक श्री मगनलाल पुत्र रघुराम जी सुथार, निवासी– सनवाडा) अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 (एक) गेरीदेवी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि उक्त दोनों प्रकरणों अप्रार्थी सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत, सनवाडा को को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) उक्त दोनों पंचायत निगरानी प्रकरणों के तथ्य एवं विवाद बिन्दु तथा पक्षकारान समान होने से उक्त दोनों पंचायत निगरानी प्रकरणों में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की संयुक्त बहस सुनी जाकर उक्त दोनों पंचायत निगरानी प्रकरणों को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है।

(4) पंचायत निगरानी संख्याः 08/2022 के प्रार्थी गेरीदेवी पत्नी मगनलाल जी सुथार, निवासी– सनवाडा व पंचायत निगरानी संख्या 97/2022 की अप्रार्थी गेरीदेवी पत्नी मगनलाल जी सुथार, निवासी– सनवाडा के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि आबादी ग्राम सनवाडा, ग्राम पंचायत सनवाडा, तहसील–रेवदर, जिला सिरोही में आबादी क्षेत्र में गेरीदेवी पत्नी मगनलाल जी सुथार, निवासी– सनवाडा के मालकी स्वामित्व कब्जे आधिपत्य का पट्टा शुदा एक आवासीय भूखण्ड की सम्पति आयी हुयी हैं, जिसका असल पट्टा संख्या 945 मिसल संख्या 929/96–97 नियम 271 के तहत प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 12–06–1996 के अनुसरण में श्रीमति गेरी देवी पत्नि मगनलाल सुथार के नाम से तत्कालीन ग्राम पंचायत, उडवारिया (पूर्व पंचायत नाम) द्वारा प्रतिफल राशि रू. 1260/– (अक्षरे एक हजार दो सौ साठ रूपये मात्र) प्राप्त कर जारी किया हुआ हैं। इस प्रकार गेरीदेवी के नाम से जारी उक्त पट्टा तत्कालीन ग्राम पंचायत सनवाडा द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाकर नियमानुसार प्रतिफल रकम ग्राम पंचायत के राजकोष में प्राप्त कर पट्टा जारी कर कब्जा सुपूर्द किया गया था एवं उक्त प्लोट गेरीदेवी के एकमात्र कब्जे स्वामित्व व

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... सिरोही

हक अधिकार की सम्पति हैं, जिसकी चतुर्दशी उत्तर दिशा में माला कुम्हार का प्लोट, दक्षिण दिशा में मंछा रावल का प्लोट, पश्चिम दिशा में भूबाजी पुरोहित का प्लोट व पूर्व दिशा में रास्ता है तथा नाप उत्तर– दक्षिण 42 फीट व पूर्व–पश्चिम 15 फीट कुल क्षेत्रफल 630 वर्गफीट है। गेरीदेवी के उक्त कब्जे आधिपत्य के आवासीय भूखण्ड को गेरीदेवी द्वारा आज तक उपयोग उपभोग करती हुई काबिज हैं, तथा गेरीदेवी के उक्त प्लोट पर गेरीदेवी एवं उसके पति मगनलाल ने ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के बाद कई सालों पहले अपने उक्त मालकी स्वामित्व कब्जे आधिपत्य व पट्टे शुदा प्लोट पर ईट, पत्थर, बजरी इत्यादि निर्माण सामग्री डलवाकर उक्त प्लोट पर नींव भराई कर करीब ढाई फीट उंचाई में परकोटा बनाकर निर्माण कार्य करवाकर, प्लॉट के अन्दर टीनशेड बनाया था। गेरीदेवी के कब्जे आधिपत्य के उक्त प्लोट पर एकमात्र गेरीदेवी एवं उसका परिवार निरन्तर व निर्बाध रूप से आज तक बतौर मालिक काबिज हैं एवं गेरीदेवी व उसका परिवार ही उपरोक्त सम्पति का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग राजेन्द्रकुमार व उसके भाईयों व आमजन की जानकारी में करते आ रहे हैं, इस प्रकार उक्त प्लोट गेरीदेवी के एकमात्र कब्जे स्वामित्व व हक अधिकार की सम्पति हैं। दिनांक 18–12–2021 को गेरीदेवी व उसके पति उक्त कब्जे स्वामित्व के प्लोट पर पुराने बने टीनशेड को हटाकर साफ सफाई कर रहे थे तब राजेन्द्रकुमार व अन्य ने गेरीदेवी के उक्त भूखण्ड पर अनाधिकृत प्रवेश किया एवं कहने लगे कि उक्त प्लोट के दक्षिण दिशा में स्थित भूखण्ड एवं तुम लोग काम कर रहे हो, ये दोनों ही भूखण्ड हमारे हैं तब गेरीदेवी के पति ने अपने उक्त कब्जे स्वामित्व के भूखण्ड की सम्पति का पट्टा विलेख गेरीदेवी के नाम से होने की जानकारी दी तो राजेन्द्रकुमार पुत्र मंछाराम जी रावल व उसके भाई व माता ने गाली गलौच कर झगडा करने लगे एवं कहने लगे कि तुम्हारे ऐसे पट्टे वगैरा को हम नही मानते, ये भूखण्ड तो हमारा ही है। उक्त घटना के दुसरे दिन गेरीदेवी के पति ने गांव के मौजिज लोगों की बैठक बुलाकर उक्त भूखण्ड में राजेन्द्रकुमार व उसके भाईयों द्वारा जबरन अवैध प्रवेश करने एवं लडाई झगडा करने बाबत् जाहिर किया, तब गांव के मौजिज व्यक्तियों ने राजेन्द्रकुमार व अन्य को गांव की पंचायत में बुलाकर कहा कि उक्त भूखण्ड सालों से गेरीदेवी का हैं एवं उसका आज तक उपयोग उपभोग गेरीदेवी व उसका परिवार ही करता आ रहा हैं तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत ने उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख भी गेरीदेवी पत्नी मगनलाल जी सुथार के नाम से जारी किया हुआ हैं। तब राजेन्द्रकुमार व उसके भाईयों ने कहा कि उक्त भूखण्ड का पट्टा हमारे पिता मंछाराम के नाम से बना हुआ हैं जिसकी फोटो उनके फोन में बताई, जिसकी असल प्रति राजेन्द्रकुमार व उसके भाईयों के पास नही थी, एवं नाप एवं चतुदर्शी में भी कांट छांट की हुई थी। गेरीदेवी व उसके पति ने ग्राम पंचायत सनवाडा में जाकर के राजेन्द्रकुमार व अन्य द्वारा बताये गये पट्टा के बारे में पता किया तब ग्राम पंचायत द्वारा अवगत कराया कि जो पट्टा विलेख राजेन्द्रकुमार व अन्य द्वारा बताया जा रहा हैं ऐसा पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा कभी जारी किया हुआ नही है। राजेन्द्रकुमार व उसके भाई व माता ने उनके पिता के नाम से जाली दस्तावेज तैयार करके जिसमें नाप, चतुदर्शी भी अलग अलग तथा गलत दर्शित हैं, के जरिये गेरीदेवी के उक्त कब्जे स्वामित्व के भूखण्ड में दखलन्दाजी पैदा करके हडपना चाहते हैं, जिसका राजेन्द्रकुमार व उसके भाईयों व अन्य व्यक्तियों को कोई हक अधिकार नही हैं।, इस प्रकार गेरीदेवी पत्नी मगनलाल जी सुथार के कब्जे सुदा पट्टा सुदा भूखण्ड पर राजेन्द्रकुमार व उसके भाईयों व उनके नुमाईन्दों द्वारा बाधा पैदा करने तथा दखलन्दाजी करके धमकियां दिये जाने से गेरीदेवी ने माननीय न्यायालय में मंछाराम पुत्र मालाजी के नाम से बने फर्जी पट्टे को निरस्त कराने हेतु निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। यह कि गेरीदेवी पत्नी मगनलाल जी सुथार के उक्त प्लोट की वर्तमान मार्केट वेल्यू बढ जाने से राजेन्द्रकुमार व उसके भाईयों की नियत में खोट आ गई एवं गेरीदेवी से जबरन उक्त प्लोट बेचान करने का दबाव दे रहे हैं व पिछले कुछ समय से गेरीदेवी के उक्त प्लोट पर राजेन्द्रकुमार व उसके भाईयों द्वारा गेरीदेवी के कब्जे आधिपत्य में दखल अन्दाजी करने

.......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... सिरोही

पर राजेन्द्रकुमार व उसके भाईयों के उक्त गलत कृत्यों के विरूद्ध गेरीदेवी ने पुलिस थाना अनादरा व पुलिस अधीक्षक सिरोही को रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें पुलिस ने राजेन्द्रकुमार व उसके भाईयों को पाबन्द कर गेरीदेवी के साथ लडाई झगडा नही करने एवं उसके प्लोट में बाधा पैदा नही करने हेतू हिदायत दी थी, फिर राजेन्द्रकुमार व उसके भाईयों के विरुद्ध गेरीदेवी पत्नी मगनलाल जी सुथार ने मंछाराम पुत्र मालाजी रावल, निवासी– सनवाडा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 806 दिनांक 20–12–1987 को निरस्त कराने हेतु निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके विचाराधीन रहते हुए भी राजेन्द्रकुमार पुत्र मंछाजी रावल व उसके भाईयों व माता द्वारा उक्त पट्टा संख्या 806 दिनांक 20–12–1987 की भूमि का अप्रार्थी संख्या 6 (छः) अमीयादेवी पत्नी कान्तीलालजी पुरोहित, निवासी– सनवाडा को विक्रय कर दिया जो कानूनन गलत है तथा राजेन्द्रकुमार व उसके भाईयों द्वारा गेरीदेवी के निगरानी आवेदन के बाद, गेरीदेवी के विरुद्ध गेरीदेवी पत्नी मगनलालजी के पट्टा संख्या 945 दिनांक 12–6–1996 को निरस्त कराने हेतु मनगंढत तथ्यों के आधार पर निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है, जो कानूनन परिपोषणीय नही है। अतः गेरीदेवी पत्नी मगनलाल जी सुथार, निवासी– सनवाडा का निगरानी आवेदन विरुद्ध राजेन्द्र कुमार पुत्र मंछाजी रावल, निवासी– सनवाडा व अन्य को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, उडवारिया द्वारा मंछाराम पुत्र मालाजी रावल, निवासी– सनवाडा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 806 दिनांक 20–12–1987 को निरस्त किया जावे तथा राजेन्द्रकुमार पुत्र मंछाराम जी रावल, निवासी– सनवाडा व अन्य द्वारा गेरीदेवी पत्नी मगनलाल जी सुथार, निवासी– सनवाडा के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी आवेदन को खारिज किया जाकर गेरीदेवी पत्नी मगनलाल जी सुथार, निवासी– सनवाडा का पट्टा संख्या 945 दिनांक 12–6–1996 को यथावत बहाल रखा जावे। जबकि बहस के दौरान पंचायत निगरानी संख्या 08 / 2022 के अप्रार्थी राजेन्द्रकुमार पुत्र मंछाराम जी रावल, प्रकाशकुमार पुत्र मंछाराम जी रावल, जगदीश पुत्र मंछाराम जी रावल निवासी– सनवाडा व कान्तादेवी पत्नी मंछाराम जी रावल, निवासी– सनवाडा तथा पंचायत निगरानी संख्या 97 / 2022 के प्रार्थीगण राजेन्द्र कुमार पुत्र मंछाराम जी रावल, निवासी– सनवाडा व अन्य के अधिवक्ता श्री पी.एल दवे ने यह व्यक्त किया कि राजेन्द्रकुमार पुत्र मंछाजी रावल व उसके भाईयों व माता के पट्टेशुदा व कब्जे आधिपत्य का एक आवासीय भूखण्ड ग्राम असावा में आया हुआ है, जिसका पटटा संख्या 806 दिनांक 20–12–1987 का तत्कालीन ग्राम पचायत, उडवारीया के द्वारा उनके पिता / पति मंछारामजी मालाजी रावल के नाम जारी किया हुआ है। राजेन्द्रकुमार व अन्य के उक्त पट्टेशुदा व कब्जे आधिपत्य के भूखण्ड़ की चतुदर्शी पूर्व दिशा में आम रास्ता व दरवाजा, पश्चिम में केसाराम पुत्र भुताजी का प्लोट, उतर में गमनाराम कुम्हार का प्लोट, हाल भुबाजी पुरोहित का व दक्षिण दिशा में ताराराम पुत्र कानाजी कुम्हार का प्लोट, हाल मकान है एवं नाप समचौरस 42 फीट x 40 फीट कुल 1680 वर्गफीट है, जिसे निगरानी आवेदन के साथ संलग्न नक्शें में ए, बी, सी, डी से दर्शाया है। उक्त भूखण्ड राजेन्द्रकुमार व अन्य के पिता व पति मछारांमजी के कब्जे आधिपत्य व पटटे शुदा होकर मछारांमजी की मृत्यु के पश्चात् उनका कब्जा आधिपत्य में निर्बाध रुप से वर्ष 1987 को पटटा देने के समय से ही चला आ रहा है। गेरीदेवी का पति मगनलाल सुथार जो की मकान निर्माण इत्यादी के ठेके लेने का कार्य करता है जिसको आज से करीब 26 – 27 वर्ष पूर्व गेरीदेवी के पति मगनलाल को मंछारामजी ने अपने भुखण्ड के चारो तरफ व अन्दर की तरफ नीवं भराई के लिये ठेके पर दिया था जो कार्य गेरीदेवी के पति ने किया था। उस दौरान नीवं भराई के समय ग्राम पचायत से मेल मिलाप कर फर्जी रुप से भूखण्ड के कुछ भाग का पट्टा बनवाकर रख लिया होगा, जिसका राजेन्द्रकुमार को अब पता चला है। यह कि राजेन्द्रकुमार व अन्य के पिता / पति मंछाराम जी रावल के पट्टेशुदा व कब्जे अधिपत्य के भूखण्ड पर या उसके किसी भी भाग पर गेरीदेवी के पति का कभी कोई कब्जा नही रहा है और ना ही अप्रार्थी गेरीदेवी या उसके पति का उक्त भूखण्ड़ से कोई सरोकार रहा है। श्री राजेन्द्रकुमार व अन्य के

........पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पट्टेशुदा सम्पूर्ण 42 फीट X 40 फीट के भूखण्ड पर राजेन्द्रकुमार व उसके भाईयों व माता का व उससे पहले, उनके पिता व पति मंछारामजी का कब्जा आधिपत्य पट्टा जारी करने की दिनांक से पूर्व से ही निरन्तर व निर्बाध रुप से चला आ रहा है। जिस पर गेरीदेवी का कोई हक अधिकार नही है तथा न ही ग्राम पंचायत को राजेन्द्रकुमार व अन्य के पिता/पति मंछाराम जी पुत्र मालाजी रावल के नाम से जारी पट्टा संख्या 806 दिनांक 20–12–1987 के कब्जे आधिपत्य के भूखण्ड़ का गेरीदेवी को पुनः पट्टे जारी करने का कानूनन कोई अधिकार है, उसके बावजूद भी गेरीदेवी के पति ने मेल मिलाप कर कुटरचित तरीके से पट्टा प्राप्त किया है। राजेन्द्रकुमार व अन्य द्वारा गेरीदेवी के नाम से बने हुए पट्टा संख्या 945 दिनांक 12–6–1996 की नकल व मिसल की नकल ग्राम पंचायत से मांगी थी, परन्तु नकल नही दी गई। इस न्यायालय द्वारा गेरीदेवी के पट्टे से संबंधित रेकर्ड तलब किया जाने पर ग्राम पंचायत, उडवारिया द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित पत्र में भी बताया है कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 945 के संबंध में कोई रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही है। जिससे भी स्पष्ट है कि बिना कोई प्रक्रिया अपनाये ही तथा फर्जी रुप से कुटरचित पट्टा तत्कालीन ग्राम पचायत से गेरीदेवी के पति द्वारा मेल मिलाप कर गेरीदेवी के नाम से प्राप्त किया है। राजेन्द्रकुमार व अन्य को यह निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का कारण तब उत्पन्न हुआ, जब गेरीदेवी द्वारा उनके कब्जे मालकी के भूखण्ड के पटटे को निरस्त करने हेतु गलत रुप से उनके विरुद्ध इस न्यायालय में निगरानी आवेदन पेश किया है एवं गेरीदेवी द्वारा प्रार्थीगण के पट्टेशुदा व कब्जे आधिपत्य के भूखण्ड में से 15 फीट X 42 फीट की भूमि का फर्जी व कुटरचित तरीके से पट्टा बना लेने की जानकारी हुई, इसलिये गेरीदेवी के नाम से बने हुए पट्टा संख्या 745 को निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः राजेन्द्रकुमार पुत्र मंछाराम जी रावल, निवासी-- सनवाडा व अन्य के विरुद्ध गेरीदेवी पत्नी मगनलाल जी सुथार, निवासी– सनवाडा द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन को खारिज किया जावे तथा श्री राजेन्द्रकुमार पुत्र मंछाराम जी रावल, निवासी– सनवाडा द्वारा गेरीदेवी पत्नी मगनलाल जी सुथार, निवासी– सनवाडा व अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी आवेदन को स्वीकार किया जाकर गेरीदेवी पत्नी मगनलालजी सुथार, निवासी– सनवाडा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 745 दिनांक 12–6–1996 को निरस्त किया जावे। बहस के दौरान पंचायत निगरानी संख्या 08/2022 के अप्रार्थी संख्या 6 व 7 क्रमशः अमीयादेवी पत्नी कान्तजीलाल जी पुरोहित व कान्तीलाल पुत्र जैसाजी पुरोहित, निवासी– सनवाडा के विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुन रावल ने बहस के दौरान उनके जबाव में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, उडवारिया द्वारा मंछाराम पुत्र मालाजी रावल, निवासी– सनवाडा के पक्ष में पट्टा संख्या 806 दिनांक 20–12–1987 को नियमानुसार जारी किया है उसके बाद उक्त पट्टा संख्या 806 दिनांक 20–12–1987 की भूमि का किसी अन्य व्यक्ति को पुनः पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कानूनन कोई हक अधिकार नही है। अप्रार्थी अमियादेवी पत्नी कान्तीलाल पुरोहित, निवासी– सनवाडा ने उक्त पट्टा संख्या 806 दिनांक 20–12–1987 की भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख से खरीद कर कब्जा धारण किया है एवं उक्त पट्टा संख्या 806 की क्षेत्रफल 1680 वर्गफीट भूमि के मौके पर अप्रार्थी अमीयादेवी का ही कब्जा आधिपत्य है। अतः गेरीदेवी पत्नी मगनलालजी सुथार का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं उक्त दोनों प्रकरणों की पत्रावलियां तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रार्थी (निगरानीकार) गेरीदेवी पत्नी मगनलाल जी, जाति– सुथार, निवासी– सनवाडा ने ग्राम पंचायत, उडवारिया द्वारा श्री मंछाराम पुत्र मालाजी रावल, निवासी– सनवाडा के पक्ष में क्षेत्रफल 1680 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 806 दिनांक 20–12–1987 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी राजेन्द्रकुमार पुत्र मंछाराम जी, जाति--रावल, निवासी–सनवाडा व अन्य के विरुद्ध निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है,

.......पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

जिसके पंचायत निगरानी संख्या 08/2022 है। इसी तरह, प्रार्थी राजेन्द्रकुमार पुत्र मंछारामजी रावल, निवासी–सनवाडा व अन्य ने अप्रार्थी गेरीदेवी पत्नी मगनलाल सुथार, निवासी–सनवाडा के पक्ष में ग्राम पंचायत, उडवारिया द्वारा क्षेत्रफल 630 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 945 दिनांक 12–6–1996 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी गेरीदेवी पत्नी मगनलाल सुथार, निवासी–सनवाडा व अन्य के विरुद्ध निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसके पंचायत निगरानी संख्या 97/2022 है।

उक्त दोनों प्रकरणों की पत्रावलियों व पत्रावलियों पर उपलब्ध नजरी नक्शें के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त दोनों प्रश्नगत पट्टों से संबंधित भूमि की चतुर्दशी व सीमायें मौके पर एक–दूसरे के भूखण्ड़ से लगती हुई है एवं उक्त दोनों प्रकरणों में प्रार्थी व अप्रार्थी पक्ष ने मौके पर उनके अपने–अपने पट्टेशुदा भूमि पर स्वयं का कब्जा बताते हुए विरोधी पक्ष पर उनकी भूमि में जबरन कब्जा करने हेतु आमदा होने का कथन किया है। पंचायत निरानी संख्या 97/2022 में प्रार्थी राजेन्द्रकुमार पुत्र मंछाराम जी रावल, निवासी– सनवाडा व अन्य ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध मंछाराम पुत्र मालाजी रावल, निवासी– सनवाडा के पट्टा संख्या 806 दिनांक 20–12–1987 की क्षेत्रफल 1680 वर्गफीट भूमि में से 15x42 वर्गफीट कुल क्षेत्रफल 630 वर्गफीट भूमि का ग्राम पंचायत, उडवारिया से गेरीदेवी पत्नी मगनलाल जी सुथार, निवासी– सनवाडा द्वारा कुटरचित तरीके से दुबारा पट्टा जारी करवाने का आरोप लगाया है। जबकि पंचायत निगरानी संख्या 08/2022 में प्रार्थी गेरीदेवी ने अप्रार्थीगण पर उसकी पट्टा संख्या 945 की भूमि में पट्टा संख्या 806 दिनांक 20–12–1987 की आड में जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। दोनों पत्रावलियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पट्टा संख्या 806 दिनांक 20–12–1987 को श्री मंछाराम पुत्र मालाजी रावल, निवासी– सनवाडा के नाम से जारी किया हुआ है, जबकि पट्टा संख्या 945 दिनांक 12–6–1996 को ग्राम पंचायत, उडवारिया द्वारा गेरीदेवी पत्नी मगनलाल जी सुथार, निवासी– सनवाडा के नाम से जारी किया हुआ है। कानूनन पट्टेशुदा भूमि का किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में दुबारा पट्टा जारी नही किया जा सकता है तथा न ही ग्राम पंचायत को पट्टेशुदा भूमि का पुनः पट्टा जारी करने का अधिकार है, लेकिन विचारणीय प्रकरण में दोनों प्रकरणों की पत्रावलियों पर ऐसा कोई ठोस प्रमाण या जांच रिपोर्ट उपलब्ध नही है, जिससे यह साबित हो सके कि वस्तुतः ग्राम पंचायत, उडवारिया द्वारा मंछाराम पुत्र मालाजी रावल, निवासी– सनवाडा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 806 दिनांक 20–12–1987 की क्षेत्रफल 1680 वर्गफीट भूमि में से 15x42 वर्गफीट कुल क्षेत्रफल 630 वर्गफीट भूमि का गेरीदेवी पत्नी मगनलाल जी सुथार, निवासी– सनवाडा के पक्ष में पट्टा जारी किया हो।

उक्त दोनों प्रकरणों की पत्रावलियों पर ऐसी भी कोई सीमांकन रिपोर्ट या जांच रिपोर्ट उपलब्ध नही है कि मौके पर केवल मंछाराम पुत्र मालाजी रावल, निवासी– सनवाडा के पट्टा संख्या 806 दिनांक 20–12–1987 में अंकित नाप व चतुर्दशी की ही भूमि उपलब्ध हो एवं उससे अधिक भूमि उपलब्ध नही हो। पत्रावली पर ऐसा भी कोई प्रमाण या दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह साबित हो कि मौके पर गेरीदेवी पत्नी मगनलाल जी सुथार, निवासी–सनवाडा के पट्टा संख्या 945 दिनांक 12–6–1996 में अंकित क्षेत्रफल व नाप की भूमि उपलब्ध न हो।

जहां तक, पंचायत निगरानी संख्या 08/2022 के प्रार्थी गेरीदेवी पत्नी मगनलाल जी सुथार, निवासी–सनवाडा का यह कथन कि "इस न्यायालय में मंछाराम पुत्र मालाजी रावल, निवासी– सनवाडा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 806 दिनांक 20–12–1987 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी राजेन्द्रकुमार पुत्र मंछाराम जी रावल, निवासी– सनवाडा व अन्य के विरुद्ध निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने के बाद पर राजेन्द्रकुमार पुत्र मंछाराम जी रावल, निवासी– सनवाडा द्वारा उक्त पट्टा संख्या 806

......पेज सात पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

दिनांक 20–12–1987 की भूमि का अप्रार्थी अमीयादेवी पत्नी कान्तीलाल जी पुरोहित, निवासी– सनवाडा को विक्रय किया गया है।'' इस संबंध मे यहां यह उल्लेख करना उचित है कि उक्त पंचायत निगरानी संख्या 08 / 2022 के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में इस न्यायालय द्वारा उक्त पट्टा संख्या 806 दिनांक 20–12–1987 की भूमि के विक्रय पर कोई स्थगन आदेश जारी किया हुआ नही है अर्थात् उक्त पट्टा संख्या 806 दिनांक 20–12–1987 की भूमि के विक्रय करने पर रोक नही थी।

चूंकि उक्त प्रकरणों में उपर्युक्तानुसार यह तथ्य स्पष्ट है कि इन प्रकरणों की पत्रावलियों पर मौके पर वास्तविक रुप से उपलब्ध भूमि की कोई सीमांकन रिपोर्ट या जांच रिपोर्ट उपलब्ध नही है, जिससे प्रमाणिक रुप से यह कहां जाना संभव नही है कि मौके पर केवल मंछाराम पुत्र मालाजी रावल, निवासी– सनवाडा के पट्टा संख्या 806 दिनांक 20–12–1987 में अंकित नाप व चतुर्दशी की ही भूमि उपलब्ध हो तथा उससे अधिक भूमि उपलब्ध नही हो। पत्रावली पर ऐसी भी कोई प्रमाण या दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह साबित हो कि मौके पर गेरीदेवी पत्नी मगनलाल जी सुथार, निवासी– सनवाडा के पट्टा संख्या 945 दिनांक 12–6–1996 में अंकित क्षेत्रफल व नाप की भूमि उपलब्ध न हो।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रकरण ग्राम पंचायत, सनवाडा, पंचायत समिति रेवदर, जिला– सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ग्राम पंचायत, सनवाडा, दोनों पक्षों की उपस्थिति में ग्राम पंचायत, उडवारिया द्वारा मछाराम पुत्र मालाजी रावल, निवासी– सनवाडा के नाम से जारी पट्टा संख्या 806 दिनांक 20–12–1987 में अंकित नाप व क्षेत्रफल 1680 वर्गफीट भूमि का व गेरीदेवी पत्नी मगनलाल जी सुथार, निवासी– सनवाडा के नाम से जारी पट्टा संख्या 945 दिनांक 12–6–1996 में अंकित नाप व क्षेत्रफल 630 वर्गफीट भूमि का मौके पर नाप जोख व सीमांकन करे। यदि मौके पर उक्त दोनों पट्टों में वर्णित नाप व क्षेत्रफल अनुसार 1680 वर्गफीट भूमि एवं 630 वर्गफीट भूमि उपलब्ध है तो दोनों पट्टों की भूमि का अलग अलग सीमांकन कर संबंधित पट्टाधारक / क्रेता को कब्जा सुपर्द करे तथा यदि मौके पर उक्त दोनों पट्टों में अंकित नाप व क्षेत्रफल से कम भूमि उपलब्ध है तो पूर्व में जारी पट्टा संख्या 806 दिनांक 20–12–1987 में अंकित नाप व क्षेत्रफल के अनुसार भूमि की क्रेता अमीयादेवी पत्नी कान्तीलाल जी पुरोहित, निवासी– सनवाडा को पहले कब्जा सुपर्द करे एवं उसके बाद यदि मौके पर शेष भूमि बचती है तो उस शेष भूमि जो क्षेत्रफल 630 वर्गफीट से कम हो का गेरीदेवी पत्नी मगनलाल जी सुथार, निवासी– सनवाडा को कब्जा सुपर्द करे। तद्नुसार मौके पर उपलब्ध भूमि के नाप व क्षेत्रफल अनुसार ही पट्टा यथावत / निरस्त रहेगा। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18 नवम्बर, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही